न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 66 / 06 / 133 जा.फौ.

श्री श्याम मंदिर कमेटी (रजिस्टर्ड) खाटूश्यामजी जिला सीकर जरिये मंत्री प्रताप सिंह चौहान पुत्रश्री गोपालसिंह निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—सायल

बनाम

1. गोपाल सिंह दतक पुत्र स्व. श्री भोपाल सिंह निवासी खाटूश्यामजी जिला सीकर

—गैरसायलान

आवेदन जैर दफा 133 एवं 145 जा0फौ0

उपस्थिति—

1. श्री रेखराज पारीक वकील सायल की ओर से
2. श्री सागरमल धायल वकील गैरसायल की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि एकमात्र श्री श्याम बाबा की मूर्ति केवल श्री श्याम मंदिर, खाटूश्यामजी जिला सीकर में विराजमान है। इस मंदिर के संपूर्ण प्रबन्ध व व्यय संचालन हेतु श्री श्याम मंदिर कमेटी पंजीकृत ट्रस्ट है एवं खाटूश्यामजी में बाबा श्याम की एकमात्र मूर्ति है। लेकिन मंदिर के ठीक पिछवाड़े में ही अप्रार्थी श्री गोपाल सिंह दतक पुत्र स्व. भोपाल सिंह की हवेली में प्रथम मंजिल पर प्राचीन श्याम बाबा के नाम से बाबा की अन्य नकली प्रतिमा रखकर केवल आर्थिक अर्जन एवं निजी लाभ हेतु ठगी की जा रही है जिससे श्याम भक्तों में भारी आक्रोश है एवं कभी भी यहां शांति भंग हो सकती है। अप्रार्थी द्वारा जिस तथाकथित मूर्ति को प्राचीन मूर्ति के नाम से रख रखा है वह मूर्ति केवल मात्र जनता को धोखा देने के लिए एवं मुनाफा कमाने के लिये रखकर भक्तों की श्रृद्धा एवं भक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तथा धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है इससे भक्त भ्रमित होते है। इस तथाकथित नकली मूर्ति से जनता में न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है एवं धार्मिक भावनाओं को ठेक पहुंच रही है जिससे कभी भी शांति भंग हो सकती हैं। यदि इस तथाकथित नकली मूर्ति को हटाया नहीं गया तो खाटू में इस धार्मिक पवित्र धाम पर बलवा भी हो सकता है। इस तथाकथित नकली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हुई नहीं है ऐसी मूर्ति की पूजा करना धार्मिक पूजा पद्धति में पाप माना जाता है जिससे श्याम भक्तों / दर्शनार्थियों में भारी रोष है इससे मुख्य श्याम मंदिर में स्थापित बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इससे ग्राम खाटू में

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

कभी भी बलवा एवं शांति भंग हो सकती है। इस सम्बन्ध में कई बार अप्रार्थी को समझाया, लेकिन जनता को आकर्षित/भ्रमित करने के लिये जगह जगह प्राचीन मूर्ति का बेनर लगाकर तथाकथित नकली मूर्ति के दर्शन हेतु जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इस बाबत श्रद्धालु/दर्शनार्थी श्री श्याम मंदिर प्रबन्ध कमेटी से शिकायत करते है कि आप उक्त तथाकथित मूर्ति को प्राचीन मूर्ति बताकर अवैधानिक रूप से आर्थिक अर्जन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो हम यहां पर धरना देंगे, नकली मूर्ति को जोर दबरदस्ती हटाने की कार्यवाही करेंगे, जिससे शांति भंग होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी श्री श्याम मंदिर कमेटी की होगी। इस सम्बन्ध में श्री श्याम मंदिर कमेटी ने समय समय पर सक्षम अधिकारियों को भी लिखा है लेकिन उस पर भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये जनता के आक्रोश को देखते हुए इस मूर्ति को हटाने/जब्त करने के लिये सक्षम अधिकारी को आवश्यक निर्देश देना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तथाकथित प्राचीन नकली मूर्ति को जब्त किये जाने के आदेश प्रदान करें एंव सक्षम अधिकारी को निर्देश दें कि वह उस नकली मूर्ति को उठाकर राज कब्जे में लें, जिससे कि जनता में बलवा एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से वकील श्री सागर मल धायल हाजिर हुए व जवाब पेश किया गया।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी/सायल ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल द्वारा मंदिर के ठीक पिछवाड़े में ही अप्रार्थी श्री गोपाल सिंह दतक पुत्र स्व. भोपाल सिंह की हवेली में प्रथम मंजिल पर प्राचीन श्याम बाबा के नाम से बाबा की अन्य नकली प्रतिमा रखकर केवल आर्थिक अर्जन एवं निजी लाभ हेतु ठगी की जा रही है जिससे श्याम भक्तों में भारी आक्रोश है एवं कभी भी यहां शांति भंग हो सकती है। अप्रार्थी द्वारा जिस तथाकथित मूर्ति को प्राचीन मूर्ति के नाम से रख रखा है वह मूर्ति केवल मात्र जनता को धोखा देने के लिए एवं मुनाफा कमाने के लिये रखकर भक्तों की श्रृद्धा एवं भक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तथा धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है इससे भक्त भ्रमित होते है। इस तथाकथित नकली मूर्ति से जनता में न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है एवं धार्मिक भावनाओं को ठेक पहुंच रही है जिससे कभी भी शांति भंग हो सकती हैं। यदि इस तथाकथित नकली मूर्ति को हटाया नहीं गया तो खाटू में इस धार्मिक पवित्र धाम पर बलवा भी हो सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तथाकथित प्राचीन नकली मूर्ति को जब्त किये जाने के आदेश प्रदान करें एंव सक्षम अधिकारी को निर्देश दें कि वह उस नकली मूर्ति को उठाकर राज कब्जे में लें, जिससे कि जनता में बलवा एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचें।

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

4. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद इस बात को लेकर था कि खाटूश्यामजी में श्याम मंदिर के पिछवाड़े श्री गोपाल सिंह दतक पुत्र श्री भोपाल सिंह ने अपनी हवेली में श्याम बाबा की नकल मूर्ति स्थापित कर श्यामभक्तों को भ्रमित किया जा रहा हैं इसलिए उसे जप्त सरकार किया जावें। उक्त आवेदन पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2005 को अप्रार्थी को नोटिस के जरिये तलब किया गया। उक्त आदेशिका से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर में निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,(फास्ट ट्रेक), सीकर के आदेश दिनांक 18.03.2006 के द्वारा प्रार्थी की निगरानी खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ का आदेश दिनांक 15.02.2005 को पुष्ट किया गया है। अप्रार्थी गोपालसिंह ने जरिये वकील आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जिस हवेली का अंकन प्रार्थना पत्र में किया गया है वर्तमान में उक्त हवेली को श्री श्याम मंदिर खाटूश्यामजी में जन सुविधाओं के विस्तार हेतु अधिग्रहण किया जा चुका है तथा हवेली के मालिक द्वारा कब्जा भी श्री श्याम मंदिर कमेटी को संभलाया जा चुका है तथा श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा उक्त हवेली को तुड़वा कर उक्त मंदिर भी वहां से हटा दिया गया है। प्रार्थी का आवेदन, आवेदन की विषय वस्तु ही अस्तित्व में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जब श्री गोपालसिंह की हवेली का अधिग्रहण किये जाने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा उक्त हवेली को तुड़वा कर उक्त मंदिर वहां से हटा दिया गया है तो प्रार्थी का आवेदन एवं उसकी विषयवस्तु अस्तित्व में नहीं होने से आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

5. यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

दांतारामगढ